नगर निगम व नगर परिषद के सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति का मामला

आईएएस और बिप्रसे की बाध्यता होगी खत्म

पटना | आलोक चन्द्र

अब मल्टीनेशनल कंपनियों की राह चलेंगे सूबे के नगर निगम व नगर परिषद। नगर निगम व नगर परिषद में सर्वोच्च पदों पर आईएएस या बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की बाध्यता खत्म होगी। इनकी जगह अन्य महत्वपूर्ण सेक्टर के लोगों को अवसर देने पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत एमबीए, लॉ, इंजीनियरिंग आदि सेक्टर के महारथियों के हाथों में वहां की कमान सौंपी जाएगी। नगर विकास व आवास विभाग इस प्रस्ताव पर गहन मंथन कर रहा है। राज्य सरकार इसके लिए नगरपालिका एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है।

इस समय नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में आईएएस या बिप्रसे के वरीय अधिकारियों की ही नियुक्ति होती है। मौजूदा नियम के इस प्रावधान के कारण इससे कई तरह की परेशानी हो रही है। कई नगर निगम और नगर परिषद में आला अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं, जिससे विकास के काम ठप पड़े हैं। जहां काम हो भी रहा है, वहां इसकी गति काफी धीमी है। आईएएस-बीपीएस पदाधिकारियों की कमी से जूझ रहे राज्य के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के लिए इसी कैडर के अधिकारियों की जरूरत के अनुरूप जुगाड़ करना मुश्किल है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर भी विभिन्न क्षेत्रों के मेधावी व अनुभवी लोगों को अवसर मिलेगा। राज्य सरकार सीईओ के लिए एमबीए, विधि, इंजीनियर आदि सेक्टर के लोगों की दावेदारी पर विचार करेगी। इस सेक्टर के अनुभवी, प्रतिभावान व बेहतर प्रबंधन क्षमता वाले लोगों को सीईओ के पद पर सीधे नियुक्त किया जा सकेगा। राज्य सरकार का मानना है कि इससे नगर निगम के कार्यों को अपेक्षित गति मिलेगी और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। उनके अनुभवों से निगम की स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी।

कवायद

- किसी भी सेक्टर के बेहतर प्रबंधकों के हाथों में होगी कमान
- हो रहा गहन मंथन, नगरपालिका एक्ट में संशोधन पर भी विचार